

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए " ब्लॉक, जनपथ , जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 4 (ई )/अलेसे III/निप लिंक न . 10783/5271

दिनांक :- 17.2.2020.

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री भारती पाटवाल [लिंक न . 10783] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, क एवं लेखा विभाग, हनुमानगढ़ - [1107] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अव (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 21/11/2017 से 01/12/2017 तक 11 दिवस

दिनांक 05/02/2018 से 08/02/2018 तक 4 दिवस

कुल 15 दिवस

उक्त कुल 15 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री भारती पाटवाल व सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।



(मुकुन्द सोहोनी)

निदेशक

क्रमांक :- प 4 (ई )/अलेसे III/निप लिंक न . 10783/5271

दिनांक :- 17.2.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, हनुमानगढ़
2. कोषाधिकारी हनुमानगढ़
3. श्री /श्रीमती / सुश्री भारती पाटवाल [10783] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, हनुमानगढ़
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली



(अरविन्द धीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II)